मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक : एल 1–10/471/2025/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ।

2. **समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,**
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय :– राज्य शासन के कोष से देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में।

000

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निर्माण कार्य विभाग (WDDF के देयकों) सहित केन्द्र सहायित (केन्द्र क्षेत्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित) योजनाओं हेतु रूपये **50 करोड़** से अधिक राशि के देयकों के कोषालय से आहरण के लिए निम्नांकित मदों के देयकों को छोड़कर शेष सभी देयकों के आहरण हेतु वित्त विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता निर्धारित की जाती है:–

I पूँजीगत मदों से संबंधित समस्त आहरण ।

II मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के तहत देय वापसियों से संबंधित आहरण ।

III भू–अर्जन से संबंधित राशि एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए आवश्यक आहरण ।

2/– सभी प्रकार के देयकों के आहरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के अधीन रहेंगें। प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के आहरण में वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका/प्रत्यायोजित अधिकार (Book of Financial Powers / Delegated Powers) का तथा अन्य सुसंगत नियमों का पालन करते हुए ही स्वीकृति के आदेश जारी किया जाए ।

3/– वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों में निम्न विवरण दिया जायेगा:–

(i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रति ।

(ii) आहरण संवितरण अधिकारी का नाम (DDO) जिनके द्वारा आहरण किया जायेगा।

(iii) कोषालय का नाम जिसमें आहरण हेतु देयक प्रस्तुत किया जायेगा ।

(iv) बजट प्रावधान, जो जारी किया गया एवं शेष का आवंटन प्रमाणीकरण।

(v) यह प्रमाण पत्र, कि राशि आहरण कर बैंक खातें में नहीं रखी जावेगी (उपरोक्त शर्त केन्द्र प्रवर्तित तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं पर लागू नहीं होगी। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि कोषालय से आहरित कर संबंधित SNA बैंक खाते में ही अंतरित की जाये) तथा योजनांतर्गत संचालित बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रतियॉं भी संलग्न करें।

//2//

4/– कंडिका 3 अनुसार प्राप्त विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन की समेकित तरलता/वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से विचार कर निर्णय लिया जायेगा ।

5/– वित्त विभाग द्वारा जारी आहरण छूट का अनुमति आदेश, जारी होने के 15 दिन अथवा उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च (जो भी पहले हो) तक ही वैध होगा ।

6/– यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(तन्वी सुन्द्रियाल)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमॉक : एल 1–10/472/2025/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2025

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन,मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
9. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
11. समस्त सचिव/संचालक बजट/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
12. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
16. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

(रूपेश कुमार पठवार)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल